

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1197

दिनांक 16/5/24

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
नरसिंगा	बनाम	वीरा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं.48/2023

दिनांक : 16.05.2024

## आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा सुथारो का तला के खेत खसरा सं. 30 रकबा: 00.0486 हैक्टेयर, खसरा सं. 536/29 रकबा: 09.9067 हैक्टेयर एवं मौजा रतासर के खसरा सं. 545/175 रकबा: 05.3823 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थनीनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 1200

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 16/5/24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण नरसिंगा वगैरा
3. विप्रार्थीगण वीरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

(सूचना प्रविशनीई)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन